**भारत सरकार**

**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 23**

**22.11.2011 को उत्तर के लिए**

**'जैव-विविधता वाले विरासत स्थल'**

**23. डॉ. के.वी.पी. रामचन्द्र राव :**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्रीयहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को जैव-विविधता वाले विरासत स्थलों (बी.एच.एस.) की घोषणा करने हेतु राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थल-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार को आनुवंशिक संसाधनों की महत्ता के संबंध में लोगों को शिक्षित करने हेतु जैव-विविधता सारक्षता आंदोलन शुरू करने के लिए विशेषज्ञों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन )**

(क) जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के अनुसार राज्य सरकार, स्थानीय निकायों के साथ विचार-विमर्श कर समय-समय पर अधिनियम के अंतर्गत जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करती है।

(ख) और (ग) कर्नाटक राज्य ने धारा 37 के अनुसार तीन जैव विविधता विरासत स्थल नामत: नल्लूर टेमरिंड ग्रोव; हॉग्रेकन और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जीकेवीके कैम्पस, बंगलौर घोषित किए हैं।

(घ) जी, हां ।

(ड.) जैव विविधता साक्षरता, जागरूकता उत्पन्न करने और उससे संबंधित प्रस्ताव नियमित रूप से प्राप्त होते हैं। मूल्यांकन साäमति इनकी समीक्षा करती है और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

\*\*\*\*\*